''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002.''



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 181] रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 जुलाई 2003—आषाढ़ 25, शक 1925

शिक्षा (तकनीकी शिक्षा) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-50/2002/42.—राज्य शासन द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8-7-2002 के अनुसार छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा तीन वर्षीय संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) नियम, 2002 की कंडिका (7) के अनुसार न्यूनतम आयु अनुसूची में 22 वर्ष निर्धारित की गई थी. यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 28 मार्च 2003 को संदर्भ पृष्ठ क्रमांक 459 से 464 प्रकाशित की गई है. इस संबंध में शासन के द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार कर यह पाया गया कि अपेक्षित अर्हताएं अर्जित करने वाले आवेदकों के न्यूनतम आयु 22 वर्ष निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि काफी संख्या में 21 वर्ष की आयु में ही व्यक्ति इंजीनियरिंग उपाधि प्राप्त कर लेते हैं. अत: संदर्भित अधिसूचना में न्यूनतम आयु अनुसूची में संशोधन कर सभी पदों के लिये 22 वर्ष को 21 वर्ष किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.